[2018] 4 एस. सी. आर. 1063

चीन की संपत्तियाँ सीमित

वी.

कस्तुरी और पुत्र सीमित और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 10025-10026 2017 का)

अप्रैल 24,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एसएस। 35 , 36 , 7- अंतिमता

पुरस्कार-प्रवर्तन-मध्यस्थता समझौता-उन तृतीय पक्षों पर बाध्यकारी जो दो संविदाकारी पक्षों के बीच एक समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं हो सकते हैं-आयोजितः धारा 35 में कहा गया है कि एक मध्यस्थता पुरस्कार "अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा और

लोग

उनके तहत क्रमशः दावा करना-अभिव्यक्ति "दावा करने वाले व्यक्ति

यद्यपि नामित व्यक्ति मध्यस्थता कार्यवाही के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं था-शेयरों के संचरण की आवश्यकता वाले मध्यस्थ निर्णय को, अंतिमता प्राप्त करने के बाद, उसी तरीके से लागू किया जा सकता है जैसे कि यह अदालत का आदेश हो-इसके अलावा, दावेदारों को शेयरों का संचरण जैसा कि पुरस्कार द्वारा अनिवार्य है, पूरी तरह से प्रभावी हो सकता है। एस के प्रावधान को लागू करके एन. सी. एल. टी. के समक्ष रजिस्टर का सुधार प्राप्त करके। 111 - एन. सी. एल. टी. ने रजिस्टर के सुधार का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का सही उपयोग किया जिसे एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा बरकरार रखा गया था-इस प्रकार, अपीलकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा उठाई गई चुनौती में कोई योग्यता नहीं है। 111 .

के. सी. पी.-तीसरा प्रतिवादी, के. एस. एल.-पहला प्रतिवादी, एस. पी. आई. एल. और

एच. आर. पी. कंपनी ने एक समझौता किया जिसके तहत एस. पी. आई. एल. को के. एस. एल. को देय बही ऋण के बदले में के. एस. एल. को 240 लाख इक्विटी शेयर आवंटित करने थे। के. एस. एल. ने के. सी. पी. को शेयर बेचने की पेशकश की। के. सी. पी. एस. पी. आई. एल. के व्यवसाय, शेयरों और देनदारियों को संभालने के लिए सहमत हो गया और देनदारियों का निर्वहन करेगा। हालांकि, के. सी. पी. ने लेन-देन पूरा नहीं किया। पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए जिसके परिणामस्वरूप

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता कार्यवाही। के. सी. पी. और एस. पी. आई. एल. को के. एस. एल. और के. एस. एल. को 2 करोड़ 43 लाख शेयरों से संबंधित स्वामित्व और साझा प्रमाण पत्र के दस्तावेज वापस करने का निर्देश देते हुए एक पुरस्कार पारित किया गया था। 3.58 ब्याज के साथ करोड़। उक्त पुरस्कार को अंतिम रूप दिया गया। केएसएल ने तब यू/एस के तहत कार्यवाही शुरू की। 111 एस. पी. आई. एल. के रजिस्टर में सुधार के लिए कंपनी अधिनियम, 1956। एन. सी. एल. टी. ने याचिका की अनुमति दी। इसके बाद, एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के. सी. पी. का एक नामांकित व्यक्ति है और विचाराधीन शेयरों को रखता है, इसलिए, एन. सी. एल. टी. को सुधार के लिए कार्यवाही का मनोरंजन करने में उचित ठहराया गया था। 111 . अतः वर्तमान अपीलें।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1.1 आधुनिक व्यावसायिक लेन-देन अक्सर कई परतों और समझौतों के माध्यम से किए जाते हैं। कंपनियों के एक समूह के भीतर लेनदेन हो सकते हैं। जिन परिस्थितियों में उन्होंने प्रवेश किया है, वे एक ही समूह के भीतर हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों संस्थाओं को बांधने के इरादे को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता द्वारा बाध्य रखने में

समझौता, न्यायालय लेन-देन को उस व्यावसायिक भावना के अनुरूप एक अर्थ प्रदान करके मामले का रुख करता है जो उन्हें दिए जाने का इरादा था। इसलिए, समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षकार के साथ हस्ताक्षर न करने वाले का संबंध, विषय वस्तु की समानता और लेन-देन की समग्र प्रकृति जैसे कारक संतुलन में वजन करते हैं। कंपनियों के समूह के सिद्धांत का उद्देश्य अनिवार्य रूप से है पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से आयोजित इरादे की पूर्ति को सुविधाजनक बनाना, जहां परिस्थितियां इंगित करती हैं कि इरादा हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं दोनों को बांधना था। प्रयास व्यावसायिक व्यवस्था के वास्तविक सार को खोजने और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं की एक स्तरित संरचना से बाहर निकलने का है, किसी ऐसे व्यक्ति को बांधने का इरादा जो औपचारिक रूप से हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन जिसने हस्ताक्षरकर्ता के कार्यों से बाध्य होने का दायित्व ग्रहण किया है। [पैरा 17] [1083-सी-एफ]

रेडफर्न और हंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, पाँचवाँ संस्करण 2.13, p.89-90,99,240 पी 100,241 पी 100; मध्यस्थता पर रसेल 24 वीं संस्करण, 3-025 पृष्ठ 110-111; गैरी बी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर ग्रंथ

जन्म 2 एड। खंड 1 पी 1418-संदर्भित।

1.2 तत्काल मामला पुरस्कार के बाद की स्थिति से संबंधित है। चेरान प्रोपरटीज लिमिटेड v के खिलाफ मध्यस्थता निर्णय को लागू करने की मांग की गई है।

कस्तुरी और पुत्र

सीमित और ओआरएस।

अपीलार्थी इस आधार पर कि वह के. सी. पी. के तहत दावा करता है और पुरस्कार से बाध्य है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 35 में कहा गया है कि एक मध्यस्थता पुरस्कार "उनके तहत दावा करने वाले पक्षों और व्यक्तियों पर क्रमशः अंतिम और बाध्यकारी होगा"। अभिव्यक्ति 'के तहत दावा करना', अपने सामान्य अर्थ में, अधिकार के स्रोत की ओर ध्यान आकर्षित करती है। इस अभिव्यक्ति में हस्तांतरण और ब्याज के आवंटन के मामले शामिल हैं। अभिव्यक्ति " धारा 35 में उनके तहत दावा करने वाले व्यक्ति उन लोगों के जाल का विस्तार करते हैं जिन्हें मध्यस्थता पुरस्कार बाध्य करता है। यह पहुँच कर ऐसा करता है

न केवल पक्षों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो उनके तहत दावा करते हैं। अभिव्यक्ति "उनके तहत दावा करने वाले व्यक्ति" इस सिद्धांत की एक विधायी मान्यता है कि पक्षों के अलावा, एक मध्यस्थ पुरस्कार प्रत्येक व्यक्ति को बाध्य करता है जिसकी क्षमता या स्थिति कार्यवाही के लिए एक पक्ष के रूप में प्राप्त होती है और वही है। एक पक्ष से अपनी क्षमता प्राप्त करने और कार्यवाही के लिए एक पक्ष के रूप में एक ही स्थिति में होने से एक व्यक्ति बाध्य होता है जो इसके तहत दावा करता है। ऐसे हर मामले में मुद्दा यह है कि क्या वह व्यक्ति

जिनके खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार लागू करने की मांग की जाती है, वह है जो समझौते के एक पक्ष के तहत दावा करता है। [पैरा 20] [1086-डी-जी]

पी. रामनाथ अय्यर तृतीय द्वारा उन्नत विधि शब्दकोश

एडन खंड I पी 818-संदर्भित।

" बशर्ते प्रस्तावित हस्तांतरणकर्ता एस. पी. आई. एल. के प्रबंधन और इस समझौते में शामिल संबंधित वित्तीय पहलुओं के लिए इस समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करें। के. सी. पी. ने अपीलार्थी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करते हुए के. एस. एल. को एक पत्र लिखा। पत्र में शेयर खरीद समझौते का स्पष्ट और स्पष्ट संदर्भ था। अपीलार्थी

केएसएल को सूचित किया गया कि यह उक्त समझौते के अनुसरण में था कि केएसएल बेचने के लिए सहमत हो गया था और "इस समझौते द्वारा और/या स्वयं और/या उनके नामितों द्वारा हमारे कंपनियों के समूह के पास [2018] 4 एस. सी. आर. है।

पंजीकृत कंपनियों को समूह कंपनियों के रूप में वर्णित किया गया था। यह संकेत दिया गया था कि इसे प्रतिबिंबित करने के लिए एक पूरक समझौता किया जाएगा परिवर्तित विचार। [पैरा 23] [1087-जी-एच; 1088-ए-सी]

1.5 रिकॉर्ड ने स्थापित किया कि के. सी. पी. द्वारा अपने नामितों को शेयरों का हस्तांतरण इस स्पष्ट शर्त पर होना था कि नामित व्यक्ति एस. पी. आई. एल. के प्रबंधन और संबंधित वित्तीय पहलुओं के अधिग्रहण के संबंध में समझौते की शर्तों का पालन करेगा। अपीलार्थी ने शेयर खरीदते समय ऐसा नहीं किया था

केवल समझौते के बारे में पता था लेकिन स्पष्ट रूप से इसके अनुसरण में अपनी समूह कंपनियों को शेयरों के आवंटन की मांग की। इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी के लिए यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि हालांकि वह समझौते की अन्य सभी शर्तों से बाध्य था, लेकिन वह मध्यस्थता समझौते से बाध्य नहीं होगा।

एक ही समझौता। उच्च न्यायालय और बाद में इस न्यायालय के समक्ष आपत्तियां उठाने के सभी प्रयास विफल होने के बाद मध्यस्थता पुरस्कार को अंतिम रूप मिला। अपीलार्थी, शेयरों को खरीदते समय, इन शर्तों के प्रति सचेत था और उन्हें स्वीकार करता था -

समझौता। इसका पत्र इस स्थिति की स्वीकृति के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता है। [पैरा 24] [1088-सी-ई]

1.6 मूल समझौते में के. सी. पी. को के. एस. एल. के इक्विटी शेयरों के आवंटन की परिकल्पना इस इरादे से की गई थी कि के. सी. पी. इसका अधिग्रहण करेगी।

एस. पी. आई. एल. का व्यवसाय, परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ। जबकि के. सी. पी. अपनी हिस्सेदारी हस्तांतरित करने का हकदार था, यह स्पष्ट रूप से हस्तांतरणकर्ता द्वारा समझौते के नियमों और शर्तों की स्वीकृति की शर्त के अधीन था। के. एस. एल. को के. सी. पी. के पत्र में शेयर खरीद समझौते का एक विशिष्ट संदर्भ है। यह उस समझौते के अनुसरण में था जिसे के. सी. पी. ने अधिकृत रूप से इंगित किया था। अपीलार्थी के हस्ताक्षरकर्ता ने कहा कि उनकी कंपनियों का समूह एस. पी. आई. एल. में शेयर खरीदने के लिए सहमत हो गया था। शेयर एक ही समूह की कई संस्थाओं द्वारा खरीदे जाने थे। परिवर्तित विचार को प्रतिबिंबित करने के लिए एक पूरक समझौता किया जाना था। अंततः, कोई पूरक समझौता निष्पादित नहीं किया गया और लेन-देन को मूल समझौते के आधार पर संरचित किया गया।

कस्तुरी और पुत्र

सीमित और ओआरएस।

पुरस्कार के प्रवर्तन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 26] [1089-बी-ई] 1.7 मध्यस्थता निर्णय में यह परिकल्पना की गई थी कि केएसएल स्वामित्व के दस्तावेजों और संबंधित प्रमाणपत्रों को वापस करने का हकदार था

एस. पी. आई. एल. के शेयर समकालीन रूप से ब्याज के साथ 3.58 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान या निविदा के साथ। केएसएल शेयर प्रमाणपत्रों के हकदार मध्यस्थता पुरस्कार के संदर्भ में है। इसका मतलब अनिवार्य रूप से शेयर प्रमाणपत्रों का हस्तांतरण है। हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए, धारा 111 के तहत रजिस्टर के सुधार के उपाय का सहारा लेना उचित था और

आवश्यक है। मध्यस्थता पुरस्कार में धारा 36 के तहत एक दीवानी अदालत की डिक्री की प्रकृति है और इसे लागू करने में सक्षम है जैसे कि यह एक डिक्री हो। उस आदेश के साथ, केएसएल कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 के प्रावधानों को लागू करके एन. सी. एल. टी. के समक्ष सुधार की मांग करने का हकदार था। इसलिए, रजिस्टर के सुधार का निर्देश देते हुए एक उचित आदेश पारित करने के लिए एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता है। [पैरा 27] [1089-एफ-एच; 1090-ए] 1.8 यह निवेदन कि के. एस. एल. द्वारा एन. सी. एल. टी. को दिया गया आवेदन विचारणीय नहीं था क्योंकि न्यायाधिकरण के पास निष्पादन करने की कोई शक्ति नहीं है।

एक मध्यस्थ पुरस्कार, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष पर आगे बढ़ता है कि उसके समक्ष याचिका का उद्देश्य पुरस्कार को लागू करना था और इसका अंतिम निर्देश उसी प्रभाव के लिए है। प्रस्तुतिकरण 1996 के अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों पर निर्भर करता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय अनिवार्य करता है कि अपीलार्थी को एस. पी. आई. एल. के 2.43 करोड़ शेयरों से संबंधित शेयर प्रमाण पत्र वापस करने होंगे जो थे।

भुगतान के खिलाफ समझौते के संदर्भ में सौंपा गया पुरस्कार में निर्धारित विचार। अपीलार्थी द्वारा शेयर प्रमाणपत्रों का हस्तांतरण केवल इसके द्वारा प्रभावी होगा -

कंपनी के रजिस्टर में सुधार। सिर्फ़ हाथ पकड़ना

मध्यस्थता कार्यवाही में दावेदार के लिए समझौता। इसके लिए धारा 111 के तहत एक आवेदन की आवश्यकता थी - रजिस्टर का सुधार सुनिश्चित करना। [पैरा 28] [1090-बी, डी-जी] [2018] 4 एस. सी. आर.

1.9 धारा 35 के प्रावधानों के तहत, पुरस्कार हो सकता है

इसे उसी तरीके से लागू किया गया जैसे कि यह न्यायालय की डिक्री हो। पुरस्कार को अंतिम रूप मिल गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 111 के तहत रजिस्टर में सुधार प्राप्त करके अधिनिर्णय द्वारा अनिवार्य शेयरों का संचरण पूरी तरह से प्रभावी हो सकता है। जिस उपाय का सहारा लिया गया वह सक्षम था। एन. सी. एल. टी. का दृष्टिकोण, जिसकी एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पुष्टि की गई है, हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा संबोधित चुनौती में कोई योग्यता नहीं है। [पारस 34-35] [1096-G-H; 1097-A-B]

इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड v. वेसकेयर (इंडिया) लिमिटेड

(2010) 5 एस. सी. सी. 303: [2010] 5 एससीआर 284-प्रतिष्ठित।

S.N.Prasad, हाइटेक इंडस्ट्रीज (बिहार) लिमिटेड बनाम। मोनेट

207 ; क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक. (2013) 1 एससीसी 641: [2012]

13 एस. सी. आर. 402; डुरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम गंगावरम बंदरगाह

लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम।

संबद्ध ठेकेदार (2015) 1 एस. सी. सी. 32: [2014] 10

एससीआर 426; सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम। अब्दुल समद (2018) 2 स्केल 467; सतीश कुमार बनाम सुरिंदर कुमार

[1969] 2 एस. सी. आर. 244; उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी बनाम। संघ

1962 की भारत सिविल अपील सं. 162 का निर्णय

11.10.1962 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 5 एससीआर 284

प्रतिष्ठित

पैरा 20

[2010] 13 एससीआर 207

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[2012] 13 एससीआर 402

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

(2017) 9 एस. सी. सी. 729

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[2014] 10 एससीआर 426

पैरा 30

संदर्भित किया गया है

(2018) 2 स्केल 467

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[1969] 2 एससीआर 244

पैरा 34

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 10025

10026 2017 से।

05.07.2017 और 18.07.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण 2017 की कंपनी अपील (एटी) No.125 और 2017 की आई. ए. No.368 में

क्रमशः 2017 की कंपनी अपील (ए. टी.) संख्या 125।

चेरान प्रॉपर्टीज लिमिटेड v. कस्तुरी और पुत्र

सीमित और ओआरएस।

डॉ. ए. एम. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिनव श्रीवास्तव, अविष्कार सिंघवी, कार्तिक सेठ, नवीन दहिया, सुश्री अनीशा महाजन, वभव मिश्रा, राहुल

गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मुकुल रोहतगी, अरविंद पी. दातार, विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री हरिप्रिया पद्मनाभन, सुश्री पूजा धर, रोहन जॉर्ज, श्रुतंजय भारद्वाज, आनंद कन्नन एन., अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. 1. वर्तमान में अपीलें

18 जुलाई 2017 को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण 1 के एक फैसले और आदेश के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 423 के तहत मामला उत्पन्न होता है। एन. सी. एल. ए. टी. ने अपनी चेन्नई पीठ में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण 2 के 6 मार्च 2017 के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज कर दिया है।

2. दूसरा प्रतिवादी स्पोर्टिंग पास्टाइम इंडिया लिमिटेड 3 नाम की एक कंपनी है। इसे 2 मई 1994 को पूरी तरह से शामिल किया गया था।

प्रथम प्रतिवादी, कस्तूरी एंड संस लिमिटेड की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। 19 जुलाई 2004 को के. सी. पलानीसामी (तीसरे प्रतिवादी), के. एस. एल. (पहले प्रतिवादी) और एस. पी. आई. एल. और हिंदकॉर्प रिसॉर्ट्स प्राइवेट के नाम से एक कंपनी के बीच एक समझौता किया गया था। लिमिटेड (हिन्दकॉर्प)। इसके तहत

समझौता एस. पी. आई. एल. को 10-10 रुपये के 240 लाख इक्विटी शेयर आवंटित करने थे, जो एस. पी. आई. एल. द्वारा के. एस. एल. को देय बही ऋण के बदले में के. एस. एल. के बराबर भुगतान किए गए थे। के. एस. एल. ने के. सी. पी. या उनके नामितों को 243 लाख इक्विटी शेयर बेचने की पेशकश की, जो कुल चुकता शेयर पूंजी के 90 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्टियों का इरादा, जैसा कि समझौते में परिलक्षित होता है, यह था कि के. सी. पी. व्यवसाय, शेयरों और

एस. पी. आई. एल. की देनदारियाँ और समझौते की अनुसूची 2 और 3 में निर्धारित देनदारियों का निर्वहन जो समझौते की तारीख को बकाया थीं। के. सी. पी. ने एस. पी. आई. एल. का प्रबंधन संभालने की तारीख से 180 दिनों के भीतर अनुसूची 2 की देनदारियों का निर्वहन करने पर सहमति व्यक्त की। समझौते का खंड 14 निम्नलिखित प्रभाव से था:

" के. एस. एल. इसके द्वारा के. सी. पी. और/या उसके नामितों के एस. पी. आई. एल. में अपनी हिस्सेदारी अपनी पसंद के किसी अन्य व्यक्ति को बेचने या हस्तांतरित करने के अधिकार को मान्यता देता है, बशर्ते प्रस्तावित हस्तांतरणकर्ता शर्तों को स्वीकार करें और

1 एनसीएलएटी

3 स्पील 4 केएसएल

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. पी. आई. एल. के प्रबंधन और इस समझौते में शामिल संबंधित वित्तीय पहलुओं के लिए इस समझौते में उल्लिखित शर्तें।

ग्रीमेंट में विवादों के बिट्रेशन के समाधान के लिए निम्नलिखित प्रावधान थे:

" दावों और जवाबी दावों से संबंधित इस समझौते से उत्पन्न होने वाले विवाद के अप्रत्याशित मामले में, यहां के पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इसे भारतीय मध्यस्थता कानून के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता तीन मध्यस्थों द्वारा की जाएगी। के. सी. पी. एक मध्यस्थ नियुक्त करने का हकदार होगा। केएसएल होगा

एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार। इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चुनाव करेंगे।

के. सी. पी. द्वारा कुल 2.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

30 करोड़ रुपये का नुकसान। नब्बे प्रतिशत शेयर थे

के. एस. एल. द्वारा के. सी. पी. और उनके नामितों को निम्नलिखित तरीके से भेजा गया:

अपीलार्थी चेरन एंटरप्राइजेज Pvt.Ltd को एक-एक शेयर। , के. सी. पी. एसोसिएट्स होल्डिंग्स पी. लिमिटेड, सी. जी. होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड और चेरन होल्डिंग्स पी.

लि.

7 अगस्त 2004 में, के. सी. पी. द्वारा एक पत्र को संबोधित किया गया था

के. एस. एल. को अपीलार्थी के हस्ताक्षरकर्ता। पत्र विशेष रूप से

19 जुलाई के शेयर खरीद समझौते का संदर्भ दिया

पत्र का मूल पाठ नीचे दिया गया है:

" री: साझा खरीद समझौता DT.19.7.04

उपरोक्त समझौते के अनुसरण में, आप और हमारी समूह कंपनियाँ, स्वयं और/या उनके नामांकित व्यक्तियों द्वारा बेचने के लिए सहमत हुए हैं।

स्पोर्टिंग पास्टाइम इंडिया लिमिटेड में शेयर खरीदने के लिए सहमत हुए हैं। रु. का अंकित मूल्य। 2,430 लाख, रुपये की राशि के लिए। 243.00 एक लाख।

तदनुसार हम इसके साथ हमारे द्वारा विधिवत निष्पादित सात शेयर हस्तांतरण विलेख भेजते हैं और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे निष्पादित करें और उन्हें निम्नलिखित नामों में हस्तांतरण पंजीकृत करने के लिए प्रासंगिक शेयर प्रमाणपत्रों के साथ स्पोर्टिंग पास्टाइम इंडिया लिमिटेड में दर्ज कराएं:

IERAN PROPERTIES LIMITED v. कस्तुरी और पुत्रसीमित और ओआरएस। [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सी. जी. होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड

1 .

2 .

चेरन होल्डिंग्स पी लिमिटेड

केसीपी एसोसिएट्स होल्डिंग्स पी. लिमिटेड

3 .

4 .

श्री के. सी. पलानीसोमी

5 .

चेरान प्रॉपर्टीज लिमिटेड

6 .

चेरान प्रॉपर्टीज लिमिटेड

242, 99.994

7 .

चेरान प्रॉपर्टीज लिमिटेड

कुल

243.00.000

हम एक डिमांड ड्राफ्ट नंबर संलग्न करते हैं। 788401 डीटी। 16.08.04 , पर खींचा गया एबीएन एमरो बैंक, रु। 2,43,00,000 , (दो करोड़ रुपये

केवल लाख) ऊपर के रूप में शेयर विचार के लिए। कृपापूर्वक।

उसकी रसीद को स्वीकार करें।

अब हमें एक पूरक समझौता करना होगा

उपरोक्त शेयर खरीद समझौता परिवर्तन को दर्शाता है

विचार करें। हमें सभी अनुलग्नकों पर भी हस्ताक्षर करने होंगे समझौता।

आपके द्वारा जारी की गई कुछ बकाया गारंटी हैं, उपरोक्त समझौते की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध पक्ष। आप हैं।

समझौते की शर्तों के साथ। हम आपको राहत देंगे। समझौते के अनुसार गारंटी "।

3. चूंकि के. सी. पी. द्वारा लेन-देन पूरा नहीं किया गया था, इसलिए विवाद उत्पन्न हुए

पक्षकार जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता की शुरुआत होती है

एडिटिंग। 16 दिसंबर 2009 को मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपना फैसला सुनाया।निम्नलिखित शर्तें -

" 28.0 पुरस्कार

सी पलानीस्वामी और मैसर्स स्पोर्टिंग पास्टाइम इंडिया लिमिटेड, उत्तरदाता:

(i) उत्तरदाताओं को दावेदारों के पास लौटने का निर्देश देना 2,43,00,000

[2018] 4 एस. सी. आर. से संबंधित शीर्षक और साझा प्रमाणपत्रों के दस्तावेज।

स्पोर्टिंग पास्टाइम इंडिया लिमिटेड नामक दूसरे प्रत्यर्थी के शेयर, जिन्हें पहले 19/07/2004 दिनांकित समझौते के अनुसार पहले प्रत्यर्थी को इस तरीके से सौंप दिया गया था

निम्नलिखित:

(क) दूसरे दावेदार से संबंधित स्वामित्व के दस्तावेज जो दूसरे दावेदार को ऊपर निर्दिष्ट स्वामित्व के दस्तावेजों का हिस्सा हैं।

दावेदार, तुरंत।

(ख) पहले दावेदार के ऊपर (क) में निर्दिष्ट स्वामित्व के दस्तावेजों का हिस्सा होने से संबंधित स्वामित्व के दस्तावेज और पहले दावेदार के साथ समकालीन रूप से ऊपर निर्दिष्ट 2,43,00,000 शेयरों से संबंधित शेयर प्रमाण पत्र।

रु. की राशि की निविदा। 3,58,11,000 / - (रु. केवल तीन करोड़ अड़तालीस हजार ग्यारह हजार) पहले उत्तरदाता को

रुपये पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ प्रति पैरा 27.01। 2,55,00,000 / पुरस्कार की तारीख से 17/01/2010 या पहले के भुगतान/निविदा तक और उसके बाद रुपये पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से। 2,50,00,000 / - रुपये की राशि के भुगतान/निविदा की तारीख तक। 3,58,11,000 /

((ii) प्रतिवादियों के दावे को खारिज करना।

रु. 8,83,23,086 /

ऊपर पैरा 26.01 में बताए गए तरीके से बंद करें। ((iv) उत्तरदाताओं को दावा और प्रतिवाद दोनों में अपनी लागत वहन करने का निर्देश देना।"

पुरस्कार की शर्तों के तहत, एक निर्देश जारी किया गया था जिसके तहत के. सी. पी. और एस. पी. आई. एल. को स्वामित्व के दस्तावेजों को वापस करना था और 2 करोड़ 43 लाख शेयरों से संबंधित प्रमाण पत्रों को साझा करना था, जिसमें के. एस. एल. को 2 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ 1,000 रुपये की राशि का भुगतान करना था।

4. के. सी. पी. ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को इसके तहत चुनौती दी

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34। इस चुनौती को मद्रास उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 30 अप्रैल 2015 के एक फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। के.

सी. पी. द्वारा दायर अपील को 24 जनवरी 2017 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस अदालत ने फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया

10 फरवरी 2017 को डिवीजन बेंच की। पुरस्कार को अंतिम रूप मिल गया है।

चेरान प्रॉपर्टीज लिमिटेड v. कस्तुरी और पुत्र

सीमित और ओआरएस। [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

5. केएसएल ने अन्य बातों के साथ-साथ एस. पी. आई. एल. के रजिस्टर में सुधार के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 के साथ धारा 397,398,402 और 403 के तहत कार्यवाही शुरू की। एन. सी. एल. टी. ने 6 मार्च 2017 के अपने आदेश द्वारा याचिका को स्वीकार कर लिया। एन. सी. एल. टी. के निर्णय की पुष्टि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 3 मई 2017 को की गई थी।

6. एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के. सी. पी. का नामित व्यक्ति है और उसकी ओर से विचाराधीन अंश रखता है। इसलिए, एन. सी. एल. टी. को धारा 111 के तहत सुधार के लिए कार्यवाही का मनोरंजन करने में उचित माना गया। के लिए

इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि अपीलार्थी के. सी. पी. का नामित व्यक्ति है और उसकी ओर से शेयर रखता है, एक निर्णय पर निर्भरता रखी गई है। दिनांक 29 अप्रैल 2011 को मद्रास उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक आवेदन में हस्तक्षेप किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए:

विचार:

" (1) क्या उन उत्तरदाताओं के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जा सकता है जो मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं

या मध्यस्थता कार्यवाही;

(2) क्या 3 से 6 तक के उत्तरदाताओं को श्री के. सी. पलानीसामी का नामित व्यक्ति कहा जा सकता है ताकि वे उनके खिलाफ अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए मध्यस्थता पुरस्कार से बाध्य हों।

उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 19 जुलाई 2004 के समझौते का खंड 14 एस. पी. आई. एल. में अपनी हिस्सेदारी को अपनी पसंद के व्यक्ति को हस्तांतरित करने के के. सी. पी. के अधिकार को मान्यता देता है, बशर्ते कि प्रस्तावित हस्तांतरणकर्ता एस. पी. आई. एल. के प्रबंधन के लिए समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है।

समझौता। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि शेयर अपीलार्थी द्वारा स्वतंत्र अधिकार के मामले के रूप में नहीं बल्कि के. सी. पी. के नामित व्यक्ति के रूप में खरीदे गए थे। शेयरों की खरीद समझौते के अनुसार की गई थी।

दिनांक 19 जुलाई 2004। रजिस्टर के सुधार का आदेश एन. सी. एल. टी. द्वारा सही ढंग से दिया गया था। याचिका खारिज कर दी गई। 7. हमने श्री कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, अपील के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री मुकुल रोहतगी को सुना है।

और श्री अरविंद दातार, उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील।

8. अपीलार्थियों की ओर से यह आग्रह किया गया है कि:

सबसे पहले, अपीलार्थी 19 जुलाई 2004 के समझौते के खंड 21 में निहित मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह समझौता के. सी. पी., के. एस. एल., एस. पी. आई. एल. और हिन्दकॉर्प के बीच हुआ था। भले ही अपीलार्थी ने के. सी. पी. के नामित व्यक्ति के रूप में एस. पी. आई. एल. के शेयर खरीदे हों, लेकिन 19 जुलाई 2004 के समझौते के पक्षकारों के बीच की कार्यवाही में दिया गया मध्यस्थता निर्णय अपीलार्थी को बाध्य नहीं करता है। दूसरा, यह सिद्धांत कि एक मध्यस्थता समझौता, धारा 7 के तहत, केवल पक्षों को बाध्य करेगा और अपीलार्थी की स्थिति में किसी तीसरे पक्ष को नहीं, इस न्यायालय के इंडोविंड में निर्णयों द्वारा तय किया जाता है।

एनर्जी लिमिटेड बनाम वेसकेयर (इंडिया) लिमिटेड और एस. एन. प्रसाद, हाइटेक इंडस्ट्रीज (बिहार) लिमिटेड बनाम मोनेट

तीसरा, धारा 36 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक मध्यस्थता पुरस्कार को दीवानी अदालत के आदेश के रूप में लागू किया जाना चाहिए। मध्यस्थता पुरस्कार को कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए लागू नहीं किया जा सकता था। एन. सी. एल. टी के समक्ष;

चौथा, हालांकि इस न्यायालय द्वारा इंडोविंड (ऊपर) में निर्धारित कानून के आधार पर एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष समीक्षा की मांग की गई थी।

इसे संक्षेप में इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कोई नहीं था

मूल निर्णय में त्रुटि।

9. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने मूल रूप से तीन लोगों से आग्रह किया है

समर्थन में ssions।

सबसे पहले अपीलार्थी को मध्यस्थता कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन उसे मध्यस्थता कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था (जाहिर है क्योंकि वह मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं था)। अपीलार्थी ने अपने द्वारा खरीदे गए शेयरों के लिए मूल्यवान प्रतिफल दिया है। केएसएल

गलत कानूनी आधार पर कार्रवाई की और

गलत का चयन करके अपने कानूनी रूप से असमर्थनीय दृष्टिकोण को बढ़ाया

दूसरा, क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट जल शोधन Inc.[3] लागू नहीं होता है क्योंकि यह धारा 45 के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से संबंधित है जबकि यह एक घरेलू मध्यस्थता का मामला था। धारा 45 के प्रावधानों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की असंशोधित धारा 8 से अलग किया जाना चाहिए। अपीलार्थी एक नहीं है

) 1 एससीसी 320

5) 1 एस. सी. सी. 641 ई. आर. ए. एन. प्रॉपर्टीज लिमिटेड v. कस्तुरी और पुत्रसीमित और ओआरएस। [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

मध्यस्थता समझौते का पक्षकार और शेयरों की खरीद के लिए विचार का भुगतान करने के बाद, मध्यस्थता पुरस्कार से बाध्य नहीं है;

तीसरा, क्लोरो कंट्रोल्स में निर्णय को स्पष्ट किया गया है

डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम गंगावरम बंदरगाह में इस न्यायालय द्वारा

सीमित '।

10. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी प्रस्तुतियों में निम्नलिखित प्रस्तावों को संबोधित किया है।

सबसे पहले, 16 दिसंबर 2009 के मध्यस्थता निर्णय को अपीलार्थी के खिलाफ निष्पादित नहीं किया जा सकता है, जिसने 19 जुलाई 2004 के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसमें एक प्रावधान है।

मध्यस्थता के लिए;

दूसरा, मध्यस्थता निर्णय को एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. जैसे न्यायाधिकरण द्वारा "छिपी हुई याचिका" में निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 111,397,398,402 और 403)

जो मध्यस्थता की धारा 42 द्वारा वर्जित होगा और

सुलह अधिनियम, 1996; तीसरा, सदस्यों के रजिस्टर में सुधार की मांग करने वाली प्रार्थना पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 111 और 111 ए की सख्त आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहती है और इसलिए सदस्यों के रजिस्टर में सुधार करने का निर्देश गलत है।

चौथा, एन. सी. एल. ए. टी. के साथ-साथ एन. सी. एल. टी. भी इसकी व्याख्या करने में विफल रहे हैं।

निर्णय में निर्धारित कानून के तय किए गए सिद्धांत को अलग करें

इंडोविंड में इस न्यायालय का; पाँचवाँ, अपीलार्थी की ओर से संबोधित 17 अगस्त 2004 के पत्र और मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर निर्भरता।

धारा 9 के तहत याचिका में न्यायालय गलत है;

सातवाँ, क्लोरो नियंत्रण सिद्धांत को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित आवश्यकताएँ आवश्यक हैं: (क) एक संयुक्त उद्यम समझौता होना चाहिए;

(ख) एक मातृ समझौता होना चाहिए;

(ग) मातृ समझौते में एक मध्यस्थता समझौता होना चाहिए;

(घ) मातृ समझौते के सहायक समझौतों की आवश्यकता नहीं है।

एक मध्यस्थता समझौता शामिल है; और

(ई) एक निष्कर्ष होना चाहिए कि सहायक समझौतों को मातृ समझौते के अभाव में निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

11. दूसरी ओर, इसकी ओर से आग्रह किया गया है

यह बताता है:

सबसे पहले, 19 जुलाई 2004 के समझौते का खंड 14

विशेष रूप से यह प्रावधान है कि के. सी. पी. के नामांकित व्यक्ति समझौते से बाध्य होंगे। के. सी. पी. के बेचने या बेचने के अधिकार की मान्यता

एस. पी. आई. एल. में अपनी हिस्सेदारी का हस्तांतरण स्पष्ट रूप से शर्त के अधीन था

कि प्रस्तावित हस्तांतरणकर्ता शर्तों को स्वीकार करेंगे और

समझौते की शर्तें। ऐसी स्वीकृति होगी

अनिवार्य रूप से मध्यस्थता सहित इसके सभी प्रावधान शामिल हैं।

खंड 21 में निहित समझौता;

दूसरा, के. सी. पी. के नामितों के लिए एस. पी. आई. एल. के शेयर प्राप्त करने की शर्त खंड 14 में वर्णित की गई है, अपीलार्थी केवल एक नामित व्यक्ति है और वर्तमान विवाद को उठाने का हकदार नहीं है;

तीसरा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के तहत 29 अप्रैल 2011 को उच्च न्यायालय के आदेश में,

अपीलार्थी को विशेष रूप से के. सी. पी. का नामित व्यक्ति माना गया था जिसका

शेयरों की खरीद 19 जुलाई 2004 के समझौते के लिए संदर्भित थी। अपीलार्थी जो उन कार्यवाहियों का पक्षकार है

अदालत। कंपनी अधिनियम के तहत, 2013 के बाद एनसीएलटी के अलावा शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित कोई भी मामला तय नहीं किया जा सकता है। केएसएल को शेयर प्रमाणपत्रों की भौतिक अभिरक्षा और सुधार की आवश्यकता है शेयर रजिस्टर से। केवल शेयर प्रमाणपत्रों की भौतिक अभिरक्षा का हस्तांतरण पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि केएसएल के शीर्षक को पूरा करने के लिए शेयर रजिस्टर में सुधार की आवश्यकता होती है। नतीजतन, केएसएल के लिए एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित करना आवश्यक था।

धारा 111 के तहत शेयर रजिस्टर का सुधार; और

पाँचवाँ, यह सिद्धांत कि एक मध्यस्थता पुरस्कार एक समूह कंपनी को बाध्य कर सकता है, जो मध्यस्थता ERAN PROPERTIES LIMITED v के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता से संबद्ध है।

कस्तुरी और पुत्रसीमित और ओआरएस। [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

क्लोरो कंट्रोल्स में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक फैसले में समझौता तय किया गया है। जबकि कोई विवाद नहीं हो सकता है मामलों की व्यापकता में इंडोविंड सिद्धांत की प्रयोज्यता के बारे में, एक समूह कंपनी को एक मध्यस्थ पुरस्कार का श्रेय है

क्लोरो नियंत्रण (ऊपर) में निर्णय द्वारा शासित।

12. श्री मुकुल रोहतगी और श्री अरविंद दातार ने अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए तर्कों का विरोध किया है। उनके पास है

टोपी:

सबसे पहले, वर्तमान अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष जिन प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाने की मांग की गई है, उनमें से प्रत्येक को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 9 के तहत कार्यवाही में आग्रह किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने उन प्रस्तुतियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है और कहा है कि अपीलार्थी ने 19 जुलाई 2004 के समझौते के तहत हर भौतिक समय पर के. सी. पी. के नामित व्यक्ति के रूप में कार्य किया है। अपीलार्थी के 17 अगस्त 2004 के पत्र में स्पष्ट रूप से पहले के समझौते का संदर्भ है और यह संदेह से परे स्थापित करता है।

कि अपीलार्थी ने समझौते के तहत सभी दायित्वों को ग्रहण किया,

मध्यस्थता के उपाय सहित;

दूसरा, इंडोविंड अनिवार्य रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत एक मामला है। वर्तमान मामले में न्यायालय एक पोस्ट पुरस्कार प्रवर्तन के साथ काम कर रहा है;

तीसरा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 35 इंगित करती है कि एक मध्यस्थता पुरस्कार एक मध्यस्थता के लिए पक्षों और उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों को बाध्य करता है। अपीलार्थी, हर भौतिक समय पर, इस तथ्य से अवगत रहा है कि वह 19 जुलाई 2004 के मूल समझौते और 17 अगस्त 2004 के अपने पत्र के अनुसरण में के. सी. पी. के तहत दावा कर रहा था।

चौथा, क्लोरो कंट्रोल्स में निर्णय एक मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष के तहत दावा करने वाले व्यक्ति की अवधारणा की व्याख्या करता है और सभी चार पर वर्तमान मामले की ओर आकर्षित होता है; और पाँचवाँ, मध्यस्थता पुरस्कार का परिणाम एक परिकल्पना करना है

कानून के संचालन द्वारा केएसएल को शेयरों का संचरण। यह

स्थिति होने के कारण, सी. एल. बी. कंपनी के रजिस्टर में सुधार का निर्देश दे सकता था। एन. सी. एल. टी. के गठन पर, ऐसा करने का अनन्य अधिकार क्षेत्र इसमें निहित है। मध्यस्थता पुरस्कार के तहत कानून के परिणामस्वरूप शेयरों के संचरण में [2018] 4 एस. सी. आर. है।

रजिस्टर के औपचारिक सुधार द्वारा प्रभावी किया जाना। इसे प्रभावी बनाने के लिए, केएसएल के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय था

सुधार के लिए एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित करना।

13. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का अब विश्लेषण किया जाएगा।14. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 में प्रावधान है

" 7 मध्यस्थता समझौता। -

(1) इस भाग में, "मध्यस्थता समझौते" का अर्थ है -

पक्षकारों को मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए सभी या कुछ विवाद जो उत्पन्न हुए हैं या जो उनके बीच उत्पन्न हो सकते हैं

परिभाषित कानूनी संबंध, चाहे संविदात्मक हों या नहीं।

(2) एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है।

(3) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा। (4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह इसमें निहित है -

(बी) पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं; या (ग) दावा और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें

(5) मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाया जाए।

इंडोविंड में धारा 7 की व्याख्या करते हुए, इसकी दो न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि:

" यह मौलिक है कि धारा 7 के उद्देश्य के लिए मध्यस्थता समझौते का गठन करने के लिए मध्यस्थता के प्रावधान को दो शर्तों को पूरा करना चाहिए: ((i) यह विवाद के पक्षों के बीच होना चाहिए और (ii) यह विवाद से संबंधित होना चाहिए या उस पर लागू होना चाहिए।

एक ऐसा मामला था जहाँ बीच में बिक्री का समझौता किया गया था

एस. समझौते में एस और उसके नामांकित व्यक्ति को एक खरीदार और चेरान प्रॉपर्टीज लिमिटेड के रूप में वर्णित किया गया है।

कस्तुरी और पुत्र

सीमित और ओआरएस। [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

इंडोविंड के प्रवर्तक। समझौते के तहत, विक्रेता खरीदार को कुछ परिसंपत्तियों को हस्तांतरण करने के लिए सहमत हुआ, जो आंशिक रूप से नकद में और आंशिक रूप से इक्विटी शेयरों के निर्गम द्वारा देय थी। डब्ल्यू के निदेशक मंडल ने समझौते को मंजूरी दे दी, जैसा कि एस के बोर्ड ने किया था। हालाँकि, इंडोविंड के निदेशक मंडल द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई थी। डब्ल्यू के अनुसार, इसके और एस और दूसरी ओर इंडोविंड के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए। डब्ल्यू ने एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एस और इंडोविंड के खिलाफ धारा 11 (6) के तहत याचिका दायर की। इंडोविंड ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि यह उस समझौते का पक्षकार नहीं था जो डब्ल्यू और एस के बीच किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन की अनुमति दी, यह मानते हुए कि हालांकि इंडोविंड समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं था, लेकिन यह बाध्य था। अपील में, इस न्यायालय ने माना कि डब्ल्यू ने मध्यस्थता वाले समझौते का उल्लेख करते हुए इंडोविंड के साथ कोई समझौता नहीं किया था।

समझौता, मध्यस्थता समझौते को उनके समझौते का हिस्सा बनाने के इरादे से। इस न्यायालय के दृष्टिकोण से:

24-2-2006 दिनांकित समझौता, क्या इसे माना जा सकता है मध्यस्थता समझौते का एक "पक्ष"। किसी की अनुपस्थिति में

खंड के तहत विचार किए गए पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़

(ग) धारा 7 की उप-धारा (4) और अनुबंध के अभाव में जिसमें संदर्भ द्वारा मध्यस्थता समझौते को शामिल किया गया है

धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत विचार किया गया, अपरिहार्य

निष्कर्ष यह है कि इंडोविंड मध्यस्थता का पक्षकार नहीं है

समझौता। मध्यस्थता समझौते के अभाव में वेसकेयर और इंडोविंड, इंडोविंड के खिलाफ कोई दावा नहीं या कोई विवाद नहीं

इंडोविंड के साथ विषय हो सकता है-एक संदर्भ का विषय

मध्यस्थ। यह एक साधारण, सरल और सामान्य पढ़ने से स्पष्ट होता है।

अधिनियम की धारा 7 "।

तथ्य यह है कि समझौता एस द्वारा इंडोविंड के प्रवर्तक के रूप में किया गया था और बाद वाले को इसके नामांकित व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था और यह कि

समझौता

एस की ओर से एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था जो इंडोविंड के निदेशक भी थे, उन्हें कोई फर्क नहीं करने के लिए आयोजित किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एस और इंडोविंड दो स्वतंत्र कंपनियाँ थीं जिनमें से प्रत्येक एक अलग और विशिष्ट कानूनी इकाई थी और केवल यह तथ्य कि कंपनियों में सामान्य शेयरधारक या एक सामान्य निदेशक मंडल था, उन्हें [2018] 4 एस. सी. आर. नहीं बना देगा।

एकल इकाई। न ही यह अनुमान लगाया जा सकता था कि एक कंपनी दूसरी के कार्यों से बाध्य होगी। इस न्यायालय के दृष्टिकोण से:

" .....एक अनुबंध मौखिक रूप से भी किया जा सकता है। एक अनुबंध को पत्राचार या आचरण से लिखा जा सकता है। लेकिन एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध से अलग है। एक मध्यस्थता समझौता केवल धारा 7 के तहत विचार किए गए तरीके से अस्तित्व में आ सकता है। यदि धारा 7 में कहा गया है कि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होना चाहिए, तो धारा 11 के तहत एक आवेदन में याचिकाकर्ता के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं होगा कि पक्षों के बीच एक मौखिक अनुबंध मौजूद था, या कि इंडोविंड ने वेसकेयर के साथ लेन-देन किया था, या वेसकेयर ने उनके साथ कुछ कार्य किए थे।

मध्यस्थता समझौते के प्रमाण के रूप में इंडोविंड का संदर्भ "।

15. इंडोविंड में निर्णय के बाद दो न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया।

प्रसाद (ऊपर) में। उस मामले में मुद्दा यह था कि क्या ऋण के लिए एक गारंटर जो ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच ऋण समझौते का एक पक्ष नहीं है, उसे ऋण के पुनर्भुगतान को नियंत्रित करने वाले विवाद के संबंध में मध्यस्थता के संदर्भ में एक पक्ष बनाया जा सकता है और इसके अधीन किया जा सकता है

मध्यस्थ पुरस्कार। ऋण समझौते में एक मध्यस्थता खंड था। इस न्यायालय के दृष्टिकोण से:

" एक ओर ऋणदाता और दूसरी ओर उधारकर्ता और गारंटरों में से एक के बीच मध्यस्थता समझौते को किसी अन्य गारंटर के संबंध में मध्यस्थता समझौता नहीं माना या समझा नहीं जा सकता है जो मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं था। इसलिए, अधिनियम की धारा 7 (4) (ए) या (बी) के तहत परिभाषित कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था, जहां तक

अपीलार्थी चिन्तित था, हालाँकि एक मध्यस्थता थी

अधिनियम की धारा 7 (4) (ए) के तहत परिभाषित समझौता

दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं के लिए।

नतीजतन, मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षकार के रूप में अपीलार्थी को शामिल करना और निर्णय को अस्थिर माना गया। न्यायालय द्वारा जो सिद्धांत तैयार किया गया था वह यह था:

" .....अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है अधिनियम के तहत मध्यस्थता समझौते के किसी पक्ष के कहने पर केवल मध्यस्थता समझौते के किसी अन्य पक्ष के साथ विवादों के संबंध में। यदि मध्यस्थता के लिए किसी पक्ष के बीच विवाद है

समझौता, मध्यस्थता समझौते के अन्य पक्षों के साथ-साथ मध्यस्थता समझौते के गैर-पक्षों के साथ, CHERAN PROPERTIES LIMITED v.

कस्तुरी और पुत्र

सीमित और ओआरएस। [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

मध्यस्थ की मध्यस्थता या नियुक्ति केवल मध्यस्थता समझौते के पक्षों के संबंध में हो सकती है न कि गैर-मध्यस्थ के संबंध में।

पार्टियाँ "।

16. ये दोनों निर्णय क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से पहले थे। क्लोरो इस न्यायालय को नियंत्रित करता है

यह देखा गया कि आम तौर पर, उन व्यक्तियों के बीच एक मध्यस्थता होती है जो मध्यस्थता समझौते और इसमें अंतर्निहित मूल अनुबंध दोनों के पक्षकार रहे हैं। अंग्रेजी कानून ने "कंपनियों के समूह का सिद्धांत" विकसित किया है जिसके तहत एक मध्यस्थता समझौते में प्रवेश किया गया है

निगमित संस्थाओं के समूह के भीतर कंपनी कुछ परिस्थितियों में कर सकती है

गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगियों को बांधें। अंग्रेजी कानून में स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा तैयार किया गया परीक्षण इस प्रकार है:

" यद्यपि एक मध्यस्थता समझौते का दायरा उन पक्षों तक सीमित है जो इसमें प्रवेश करते हैं और जो उनके तहत या उनके माध्यम से दावा करते हैं, अंग्रेजी कानून के तहत अदालतों ने कुछ मामलों में "कंपनियों के समूह सिद्धांत" को भी लागू किया है। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में विकसित हुआ है, जिसके तहत एक कंपनी द्वारा किया गया एक मध्यस्थता समझौता, जो कंपनियों के एक समूह के भीतर एक है, अपने गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगियों या बहन या मूल चिंताओं को बाध्य कर सकता है, अगर परिस्थितियां प्रदर्शित करती हैं कि पारस्परिक सभी पक्षों का इरादा हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगियों दोनों को बांधना था। इस सिद्धांत को कई मध्यस्थताओं में लागू किया गया है ताकि अधिकार क्षेत्र लेने वाले न्यायाधिकरण को उचित ठहराया जा सके।

एक पक्ष पर जो मध्यस्थता समझौते वाले अनुबंध का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। [मध्यस्थता पर रसेल (23 वीं संस्करण)]

यह इस सिद्धांत को विकसित करता है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को मध्यस्थता के अधीन किया जा सकता है बशर्ते कि ये लेनदेन कंपनियों के समूह के साथ हों और दोनों पक्षों, हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को बाध्य करने का एक स्पष्ट इरादा हो। दूसरे शब्दों में, "पक्षों की मंशा" बहुत महत्वपूर्ण है।

ऐसी विशेषता जिसे मध्यस्थता के दायरे से पहले स्थापित किया जाना चाहिए, कहा जा सकता है कि इसमें हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता भी शामिल है।

पार्टियाँ "।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह एक पक्ष के साथ प्रत्यक्ष संबंध के अस्तित्व के स्पर्श पत्थर पर मामले के तथ्यों की जांच करेगा जो मध्यस्थता समझौते के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है, विषय वस्तु की एक 'प्रत्यक्ष समानता' और क्या पक्षों के बीच समझौता एक समग्र लेनदेन का एक हिस्सा है:

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता या तीसरे पक्ष को उनकी पूर्व सहमति के बिना मध्यस्थता के अधीन किया जा सकता है, लेकिन यह केवल असाधारण मामलों में ही होगा। अदालत इन अपवादों की जांच करेगी

लेन-देन। लेन-देन एक मिश्रित प्रकृति का होना चाहिए जहां सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरक या सहायक समझौतों की सहायता, निष्पादन और प्रदर्शन के बिना मातृ समझौते का प्रदर्शन संभव नहीं हो सकता है और सामूहिक रूप से विवाद पर असर डालना। इन सबके अलावा, अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या ऐसे पक्षों का समग्र संदर्भ न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। एक बार जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है और अदालत सकारात्मक रूप से इसका जवाब देती है, तो गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों का संदर्भ भी इसके दायरे में आ जाएगा।

अपवाद-पहले चर्चा की गई।

कानूनी आधार जो एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करने के लिए लागू किया जा सकता है

समझौते के अनुसार, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" पहला सिद्धांत निहित सहमति का है, तीसरा-पक्ष

लाभार्थी, गारंटर, असाइनमेंट और अन्य हस्तांतरण

संविदात्मक अधिकारों के तंत्र। इस सिद्धांत पर निर्भर करता है

पक्षों के स्पष्ट इरादे और काफी हद तक सद्भावना के सिद्धांत पर। वे निजी के साथ-साथ सार्वजनिक कानूनी संस्थाओं पर भी लागू होते हैं। दूसरे सिद्धांत में एजेंट के कानूनी सिद्धांत शामिल हैं-प्रमुख संबंध, स्पष्ट अधिकार, घूंघट का छेद (जिसे "द एजेंट" भी कहा जाता है)।

आल्टर इगो), संयुक्त उद्यम संबंध, उत्तराधिकार और अवरोध। वे पक्षों के इरादे पर नहीं बल्कि उनके बल पर भरोसा करते हैं।

लागू कानून।

हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत के तहत, कंपनियों के एक समूह के भीतर एक कंपनी द्वारा किया गया मध्यस्थता समझौता उसके गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगियों को बाध्य कर सकता है, अगर परिस्थितियाँ प्रदर्शित करती हैं कि पक्षों का आपसी इरादा हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों पक्षों को बाध्य करना था। चेरान प्रॉपर्टीज लिमिटेड v.

कस्तुरी और पुत्र

सीमित और ओआरएस। [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

क्लोरो कंट्रोल्स में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में कानून के विकास से पहले दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इंडोविंड में स्थिति तैयार की गई थी। इंडोविंड धारा 11 (6) के तहत एक कार्यवाही से उत्पन्न हुआ। निर्णय एक समझौते के रूप में मध्यस्थता समझौते के निर्माण पर बदल जाता है जो इसके लिए पक्षों को बाध्य करता है। प्रसाद के निर्णय में स्पष्ट रूप से एक गारंटी शामिल थी, जिसमें गारंटर की मांग की गई थी मध्यस्थता कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच ऋण समझौते का एक पक्ष नहीं था। ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच ऋण समझौते में एक मध्यस्थता समझौता होता था।

गारंटर उस समझौते का पक्षकार नहीं था।

17. जैसे-जैसे कानून विकसित हुआ है, यह माना गया है कि आधुनिक व्यावसायिक लेनदेन अक्सर कई परतों के माध्यम से किए जाते हैं और

समझौते। कंपनियों के एक समूह के भीतर लेनदेन हो सकते हैं। जिन परिस्थितियों में उन्होंने प्रवेश किया है, वे एक ही समूह के भीतर हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों संस्थाओं को बांधने के इरादे को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। मध्यस्थता समझौते से बंधे गैर-हस्ताक्षरकर्ता को अभिनिर्धारित करने में, न्यायालय लेन-देन को उस व्यावसायिक अर्थ के अनुरूप एक अर्थ बताकर मामले का रुख करता है जिसका उन्हें श्रेय दिया जाना था। इसलिए, समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षकार के साथ हस्ताक्षर न करने वाले का संबंध, विषय वस्तु की समानता और लेन-देन की समग्र प्रकृति जैसे कारक संतुलन में वजन करते हैं। कंपनियों के समूह का सिद्धांत अनिवार्य रूप से पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से आयोजित इरादे की पूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए है, जहां परिस्थितियां इंगित करती हैं कि इरादा हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं दोनों को बांधना था। प्रयास व्यावसायिक व्यवस्था के वास्तविक सार को खोजने और वाणिज्यिक व्यवस्था की एक स्तरित संरचना से बाहर निकलने का है।

व्यवस्था, किसी ऐसे व्यक्ति को बांधने का इरादा जो औपचारिक रूप से हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन जिसने हस्ताक्षरकर्ता के कार्यों से बाध्य होने का दायित्व ग्रहण किया है।

18. मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ-साथ यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मॉडल कानून यह आदेश देता है कि एक मध्यस्थता समझौते को अनिवार्य होना चाहिए।

लिखित रूप में रहें। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 इसी सिद्धांत की पुष्टि करती है। कानून यह क्यों मानता है कि मध्यस्थता के लिए एक लिखित समझौता होना चाहिए? इसका कारण सरल है। मध्यस्थता के लिए एक समझौते में राष्ट्रीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। जहाँ पार्टियाँ

अपने विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल करने के लिए सहमत हुए हैं, वे न्यायनिर्णायक के स्थान पर विवाद समाधान के लिए एक निजी मंच को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। राज्य द्वारा गठित संस्थान।

रेडफर्न और हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अनुसार, मध्यस्थता करने के लिए एक समझौते की आवश्यकता [2018] 4 एस. सी. आर.

लिखित रूप में इस सिद्धांत की व्याख्या की जाती है कि इस तरह के समझौते का अस्तित्व स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव विवादों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय न्यायालयों के अधिकार को बाहर करना है। 10

19. क्या धारा 7 के अनुसार मध्यस्थता की आवश्यकता है?

लिखित समझौते में उन तीसरे पक्षों को बाध्य करने की संभावना को बाहर रखा गया है जो दो संविदाकारी संस्थाओं के बीच एक समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं हो सकते हैं? अकादमिक साहित्य के विकसित निकाय के साथ-साथ न्यायिक रुझानों से संकेत मिलता है कि कुछ स्थितियों में, दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता अन्य पक्षों को भी बांधने के लिए काम कर सकता है। रेडफर्न

और हंटर इस सिद्धांत की सैद्धांतिक नींव की व्याख्या करते हैं:

" .....तथापि, लिखित रूप में हस्ताक्षरित समझौते की आवश्यकता,

मध्यस्थता की संभावना को पूरी तरह से बाहर नहीं करता है

समझौते को बाध्य माना गया है (या उस पर भरोसा करने का हकदार है) विभिन्न तरीकों से इस तरह का समझौता: सबसे पहले, संचालन द्वारा

' कंपनियों के समूह का सिद्धांत जिसके अनुसार लाभ

और एक मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होने वाले कर्तव्यों में कुछ हो सकता है

परिस्थितियों का विस्तार अन्य सदस्यों तक किया जाए

समूह

कंपनियों का; और, दूसरी बात, के सामान्य नियमों के संचालन द्वारा

निजी कानून, मुख्य रूप से असाइनमेंट, एजेंसी और

succession.11[9]9

कंपनियों के समूह के सिद्धांत को ब्याज में "सच्चे" पक्ष का पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट घूंघट को भेदने के लिए लागू किया गया है, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, कंपनियों के समूह के क्रेडिट योग्य सदस्य को लक्षित करने के लिए। हालाँकि इस सिद्धांत के विस्तार को कानूनी आरोप के आधार पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। निगमित व्यक्तित्व के लिए, सिद्धांत का अनुप्रयोग मध्यस्थता समझौते

के निर्माण और अंतर्निहित अनुबंध में प्रवेश और प्रदर्शन से संबंधित परिस्थितियों को सक्रिय करता है। 13 1 3

मध्यस्थता 1 4 पर रसेल इस सिद्धांत को इस प्रकार तैयार करता है:

" मध्यस्थता आमतौर पर उन पक्षों तक सीमित होती है जिन्होंने सहमति दी है

प्रक्रिया, या तो किसी को संदर्भित करने के लिए उनके अनुबंध में सहमत होकर

0 रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, पाँचवाँ संस्करण-2.13, पृष्ठ 99 पर p.89-90 11 ID

12 रेडफर्न एंड हंटर (ऊपर) 2.4, पृष्ठ 100 13 आईडी. 2. 41 पृष्ठ 100

1 4 14 (24 वां संस्करण), 3-025 पृष्ठ 110-111 ERAN प्रॉपर्टीज लिमिटेड v.

कस्तुरी और पुत्रसीमित और ओआरएस। [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उनके बीच भविष्य में मध्यस्थता के लिए या विवाद उत्पन्न होने पर मध्यस्थता के अधीन होने से उत्पन्न होने वाले विवाद। एक पक्ष जिसने इतनी सहमति नहीं दी है, जिसे अक्सर तीसरे पक्ष या गैर-पक्ष के रूप में संदर्भित किया जाता है

मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले को आमतौर पर मध्यस्थता से बाहर रखा जाता है। हालाँकि कुछ अवसर ऐसे भी आते हैं जब ऐसा कोई तीसरा पक्ष मध्यस्थता करने के लिए समझौते से बाध्य हो सकता है। के लिए

उदाहरण के लिए, नियुक्तकर्ता और प्रतिनिधि मूल हस्ताक्षरकर्ता के स्थान पर मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष बन सकते हैं, इस आधार पर कि वे उस पक्ष के हित के उत्तराधिकारी हैं और मूल पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करते हैं। तीसरा पक्ष कर सकता है

तब उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

बी का जन्म अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर अपने ग्रंथ में हुआ

ऐसा कहा जा सकता है:

" यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक मध्यस्थता समझौते द्वारा बाध्य (और लाभान्वित) है, प्रमुख कानूनी आधारों में दोनों शामिल हैं।

विशुद्ध रूप से सहमति वाले सिद्धांत (जैसे, एजेंसी, धारणा, असाइनमेंट) और गैर-सहमति वाले सिद्धांत (जैसे कि अवरोध, अहंकार को बदलना) 15 "।

मध्यस्थता में अहंकार परिवर्तन सिद्धांत के अनुप्रयोग को लागू करना, जन्म

" लगभग सभी क्षेत्राधिकारों के अधिकारियों का मानना है कि एक पक्ष जिसने मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध के लिए सहमति नहीं दी है, फिर भी वह खंड से बाध्य हो सकता है यदि वह पक्ष किसी संस्था का "परिवर्तन अहंकार" है जिसने समझौते को निष्पादित किया था, या अन्यथा एक पक्ष था। यह एक महत्वपूर्ण, लेकिन असाधारण, मौलिक सिद्धांत से प्रस्थान है. कि एक समूह में प्रत्येक कंपनी कंपनियों की (एक अपेक्षाकृत आधुनिक अवधारणा) एक अलग कानूनी इकाई है जिसके पास अलग-अलग अधिकार और देनदारियाँ हैं।

निंग ग्रुप ऑफ कंपनीज का सिद्धांत, बॉर्न कहता है:

" सिद्धांत में यह प्रावधान है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो सकता है जहां कंपनियों का एक समूह मौजूद है और

पक्षकार व्यवहार में लगे हुए हैं (जैसे कि बातचीत या प्रासंगिक अनुबंध का प्रदर्शन) या उद्देश्य का निष्पक्ष रूप से और अच्छे विश्वास में मूल्यांकन करने वाले बयान दिए हैं, कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता संबंधित द्वारा बाध्य और लाभान्वित होना चाहिए।

अनुबंध। 179 9

पृष्ठ 1432

जबकि अहंकार परिवर्तन सिद्धांत कानून का एक नियम है जो निगमन या अलग कानूनी व्यक्तित्व के प्रभावों की उपेक्षा करता है, इसके विपरीत कंपनियों के समूह का सिद्धांत पक्षों के इरादों की पहचान करने का एक साधन है और विचाराधीन संस्थाओं के कानूनी व्यक्तित्व को परेशान नहीं करता है। दूसरे शब्दों में:

" कंपनियों के समूह का सिद्धांत एजेंसी या निहित सहमति के सिद्धांतों के समान है, जिसके द्वारा अलग-अलग कानूनी संस्थाओं के बीच कॉर्पोरेट संबद्धता इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधार प्रदान करती है कि वे गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में उनकी औपचारिक स्थिति के बावजूद एक समझौते के पक्षकार बनने के लिए अभिप्रेत थे। 189 9

20. इंडोविंड में निर्णय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11 के तहत एक आवेदन से उत्पन्न हुआ। इंडोविंड अनुबंध का हस्ताक्षरकर्ता नहीं था और उसे मध्यस्थता के लिए विवादों को संदर्भित करने के लिए समझौते का एक पक्ष नहीं माना गया था। इंडोविंड ने माना कि एक

धारा 11 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था। वर्तमान मामले में उस तरह की स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई है जो इंडोविंड में इस न्यायालय के समक्ष प्रचलित थी। वर्तमान मामला पुरस्कार के बाद की स्थिति से संबंधित है। अपीलार्थी के खिलाफ मध्यस्थता निर्णय को लागू करने की मांग इस आधार पर की गई है कि वह के. सी. पी. के तहत दावा करता है और निर्णय से बाध्य है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 35 में कहा गया है कि एक मध्यस्थता पुरस्कार "उनके तहत दावा करने वाले पक्षों और व्यक्तियों पर क्रमशः अंतिम और बाध्यकारी होगा"। अभिव्यक्ति 'के तहत दावा करना', अपने सामान्य अर्थ में, अधिकार के स्रोत की ओर ध्यान आकर्षित करती है। इस अभिव्यक्ति में हस्तांतरण और ब्याज के आवंटन (पी रामनाथ अय्यर द्वारा उन्नत कानून शब्दकोश) के मामले शामिल हैं। धारा 35 में "उनके तहत दावा करने वाले व्यक्ति" अभिव्यक्ति उन लोगों के जाल को व्यापक बनाती है जिन्हें मध्यस्थता पुरस्कार बाध्य करता है। यह न पहुँचने से ऐसा करता है

केवल पक्षकारों के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो उनके अधीन दावा करते हैं। अभिव्यक्ति "उनके तहत दावा करने वाले व्यक्ति" इस सिद्धांत की एक विधायी मान्यता है कि पक्षों के अलावा, एक मध्यस्थ पुरस्कार प्रत्येक व्यक्ति को बाध्य करता है। जिसकी क्षमता या स्थिति कार्यवाही के एक पक्ष से प्राप्त होती है और उसी के समान होती है। एक पक्ष से अपनी क्षमता प्राप्त करने और कार्यवाही के लिए एक पक्ष के रूप में एक ही स्थिति में होने से एक व्यक्ति बाध्य होता है जो इसके तहत दावा करता है। ऐसे हर मामले में मुद्दा यह है कि क्या वह व्यक्ति

जिनके खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है, वह है जो समझौते के एक पक्ष के तहत दावा करता है।

18 पेज 1450 पर आईडी 19 तीसरा संस्करण, खंड I पृष्ठ 818 चेरान प्रॉपर्टीज लिमिटेड v.

कस्तुरी और पुत्र

सीमित और ओआरएस। [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

21. श्री सिब्बल ने धारा 45 और अपरिवर्तित धारा 8 के प्रावधानों के बीच अंतर करने की मांग की है। धारा 45, का एक भाग है

उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करना) धारा 8 (23 अक्टूबर 2015 से 2016 के अधिनियम 3 द्वारा प्रतिस्थापित) के संशोधित प्रावधानों में पेश किया गया है, लेकिन इस अभिव्यक्ति को धारा 8 में स्थान नहीं मिला है। अपरिवर्तित प्रावधान। प्रस्तुतिकरण एक गैर-अनुक्रमिक है। धारा 8 और 45 दोनों पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के न्यायिक प्राधिकारी के कर्तव्य के क्षेत्र में कार्य करती हैं। वर्तमान मामले में धारा 35 भौतिक प्रावधान है, जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि एक मध्यस्थ पुरस्कार न केवल पक्षों पर बल्कि उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों पर भी अंतिम और बाध्यकारी है।

22. निवेदन जिसे अपीलार्थी की ओर से आग्रह किया गया था, इस आधार पर आगे बढ़ता है कि चूंकि अपीलार्थी को एक के रूप में शामिल नहीं किया गया था

मध्यस्थता कार्यवाही के लिए पक्षकार, पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए कार्यवाही इसके खिलाफ नहीं होगी। प्रस्तुतियों की यह पंक्ति स्पष्ट रूप से धारा 35 के केंद्रीय पहलू को याद करती है, जो यह है कि एक व्यक्ति जो एक पक्ष के तहत दावा करता है वह पुरस्कार से बाध्य है। यह तथ्य कि अपीलार्थी मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, इस सवाल का निष्कर्ष नहीं निकालेगा कि क्या उसके खिलाफ इस आधार पर निर्णय लागू किया जा सकता है कि वह किसी पक्ष के तहत दावा करता है। अनिवार्य रूप से, न्यायालय से इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या परीक्षण

धारा 35 में सन्निहित वर्तमान मामले में पूरा किया जाता है, ताकि अपीलार्थी को बाध्य किया जा सके।

23. 19 जुलाई 2004 के समझौते के तहत के. सी. पी. को के. एस. एल. के 243 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश की जानी थी।

करोड़। समझौते के खंड 6 में पक्षकारों का इरादा यह था कि के. सी. पी. उनके व्यवसाय, परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने नियंत्रण में ले लेगा।

स्पील। के. सी. पी. को एस. पी. आई. एल. की उन देनदारियों का निर्वहन करना था जो समझौते की अनुसूची 2 और 3 में निर्दिष्ट की गई थीं। समझौते का खंड 14, केएसएल की ओर से, एस. पी. आई. एल. में अपनी हिस्सेदारी बेचने या स्थानांतरित करने के के. सी. पी. के अधिकार को मान्यता देता है, बशर्ते प्रस्तावित हस्तांतरणकर्ता एस. पी. आई. एल. के प्रबंधन और इस समझौते में शामिल संबंधित वित्तीय पहलुओं के लिए इस समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करें।

उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त 2004 को, के. सी. पी. ने अपीलार्थी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करते हुए के. एस. एल. को एक पत्र संबोधित किया। पत्र में एक स्पष्ट [2018] 4 एस. सी. आर. है।

और 19 जुलाई 2004 के शेयर खरीद समझौते का स्पष्ट संदर्भ। अपीलार्थी ने के. एस. एल. को सूचित किया कि यह उक्त समझौते के अनुसरण में था कि के. एस. एल. ने इस समझौते द्वारा और/या स्वयं और/या उनके द्वारा हमारी कंपनियों के समूह को बेचने पर सहमति व्यक्त की थी।

नामांकित व्यक्तियों ने एस. पी. आई. एल. में 2430 लाख रुपये के अंकित मूल्य के शेयर 2 करोड़ 43 लाख रुपये में खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, अपीलार्थी

संकेत दिया कि यह विधिवत निष्पादित सात शेयर हस्तांतरण विलेखों को प्रेषित कर रहा था और केएसएल से अनुरोध किया कि निष्पादन के बाद उन्हें एस. पी. आई. एल. के साथ दर्ज किया जाए। जिन पक्षों के पक्ष में हस्तांतरण पंजीकृत किए जाने थे, उन्हें समूह कंपनियों के रूप में वर्णित किया गया था। यह संकेत दिया गया था कि परिवर्तित विचार को प्रतिबिंबित करने के लिए एक पूरक समझौता तैयार किया जाएगा। 24. रिकॉर्ड यह स्थापित करता है कि के. सी. पी. द्वारा अपने नामितों को शेयरों का हस्तांतरण इस स्पष्ट शर्त पर होना था कि नामित व्यक्ति एस. पी. आई. एल. के प्रबंधन और संबंधित वित्तीय पहलुओं के अधिग्रहण के संबंध में समझौते की शर्तों का पालन करेगा। अपीलार्थी, शेयर खरीदते समय, न केवल 19 जुलाई 2004 के समझौते से अवगत था, बल्कि उसने स्पष्ट रूप से अपनी समूह कंपनियों को उसके अनुसरण में शेयरों के आवंटन की मांग की थी। इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी के लिए यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि वह 19 जुलाई 2004 के समझौते की अन्य सभी शर्तों से बाध्य था, लेकिन वह उसी समझौते में निहित मध्यस्थता समझौते से बाध्य नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा है कि उच्च न्यायालय के समक्ष और बाद में इस न्यायालय के समक्ष आपत्तियां उठाने के सभी प्रयासों के विफल होने के बाद मध्यस्थता पुरस्कार ने अंतिमता प्राप्त की। अपीलार्थी शेयर खरीदते समय, 19 जुलाई 2004 के समझौते की शर्तों के प्रति सचेत था और उसे स्वीकार कर लिया। इसका 17 अगस्त 2004 का पत्र इस स्थिति की स्वीकृति पर कोई संदेह नहीं छोड़ता है।

25. अपीलार्थी क्लोरो नियंत्रण सिद्धांत के अनुप्रयोग पर सवाल उठाता है। डॉ. सिंघवी ने आग्रह किया कि क्लोरो कंट्रोल्स में

यह एक संयुक्त उद्यम समझौता था; मातृ या मूल समझौते में एक मध्यस्थता खंड शामिल था और हालांकि सहायक समझौतों में मध्यस्थता समझौता नहीं था, लेकिन मातृ समझौते के अभाव में उनका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता था। प्रस्तुतिकरण क्लोरो कंट्रोल्स उक्ति की एक संकुचित व्याख्या पर आगे बढ़ता है। क्लोरो नियंत्रण का सिद्धांत यह है कि एक मध्यस्थता समझौता जो

कंपनियों के एक समूह के भीतर एक कंपनी द्वारा प्रवेश किया जाता है, गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगियों को बाध्य कर सकता है, यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं दोनों को बाध्य करने के लिए पक्षों के आपसी इरादे को प्रदर्शित करती हैं। सिद्धांत को लागू करने में, कानून सामान्य इरादे को लागू करने का प्रयास करता है।

कस्तुरी और पुत्र

सीमित और ओआरएस। [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

पक्षकारों का, जहाँ परिस्थितियाँ इंगित करती हैं कि दोनों हस्ताक्षरकर्ता और

पैकेज के साथ-साथ कॉर्पोरेट गारंटी मूल पैकेज के नियमों और शर्तों पर निर्भर नहीं थी और न ही पैकेज के ज्ञापन पर। पक्षों के बीच निष्पादित समझ। डचूरो में निर्णय उस सिद्धांत से अलग नहीं है जो क्लोरो कंट्रोल्स में प्रतिपादित किया गया था।

26. वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने देखा है, 19 जुलाई 2004 के मूल समझौते में केएसएल के इक्विटी शेयरों के आवंटन की परिकल्पना की गई थी।

के. सी. पी. इस इरादे से कि के. सी. पी. एस. पी. आई. एल. के व्यवसाय, परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने हाथ में ले लेगा। जबकि के. सी. पी. अपनी हिस्सेदारी हस्तांतरित करने का हकदार था, यह स्पष्ट रूप से हस्तांतरणकर्ता द्वारा समझौते के नियमों और शर्तों की स्वीकृति की शर्त के अधीन था। के. एस. एल. को 17 अगस्त 2004 के के. सी. पी. के पत्र में 19 जुलाई 2004 के शेयर खरीद समझौते का एक विशिष्ट संदर्भ है। यह उस समझौते के अनुसरण में था कि के. सी. पी. ने अपीलार्थी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में संकेत दिया कि उनकी कंपनियों का समूह एस. पी. आई. एल. में शेयर खरीदने के लिए सहमत हो गया था। शेयर एक ही समूह की कई संस्थाओं द्वारा खरीदे जाने थे। परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए एक पूरक समझौता किया जाना था।

विचार करें। आखिरकार, कोई पूरक समझौता निष्पादित नहीं किया गया और लेन-देन मूल समझौते के आधार पर संरचित किया गया।

दिनांक 19 जुलाई 2004 जिसे अपीलार्थी ने 17 अगस्त 2004 के अपने पत्र में मान्यता दी। इस तथ्यात्मक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, पुरस्कार के प्रवर्तन के खिलाफ अपीलार्थी का बचाव स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह के बचाव को प्रबल होने देना पक्षों के आपसी इरादे को हवा में फेंकना और बेईमानी पर अधिक जोर देना होगा। 27. मध्यस्थता निर्णय में यह परिकल्पना की गई थी कि केएसएल स्वामित्व के दस्तावेजों और एस. पी. आई. एल. के शेयरों से संबंधित प्रमाणपत्रों को समकालीन रूप से ब्याज के साथ 3.58 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान या निविदा के साथ वापस करने का हकदार था। केएसएल शेयर प्रमाणपत्रों के हकदार मध्यस्थता पुरस्कार के संदर्भ में है। इसका मतलब अनिवार्य रूप से शेयर प्रमाणपत्रों का हस्तांतरण है। हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए,

धारा 111 के तहत रजिस्टर के सुधार का उपाय उचित और आवश्यक था। मध्यस्थता पुरस्कार में एक का चरित्र है

धारा 36 के तहत एक दीवानी अदालत की डिक्री और इसे लागू करने में सक्षम है जैसे कि यह एक डिक्री हो। उस आदेश के साथ, केएसएल कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 के प्रावधानों को लागू करके एन. सी. एल. टी. के समक्ष सुधार की मांग करने का हकदार था। इसलिए, [2018] 4 एस. सी. आर. के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता है।

एन. सी. एल. टी. का अधिकार क्षेत्र रजिस्टर के सुधार का निर्देश देते हुए एक उचित आदेश पारित करना है।

28. हम इस दलील से प्रभावित नहीं हुए हैं कि के. एस. एल. द्वारा एन. सी. एल. टी. को दिया गया आवेदन न्यायाधिकरण के बाद से विचारणीय नहीं था।

मध्यस्थता पुरस्कार निष्पादित करने की कोई शक्ति नहीं है। प्रस्तुतिकरण न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष पर आगे बढ़ता है कि उसके समक्ष याचिका का उद्देश्य 16 दिसंबर 2009 के पुरस्कार को लागू करना था और इसका अंतिम निर्देश उसी प्रभाव के लिए है। प्रस्तुतिकरण 1996 के अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों पर निर्भर करता है जो निम्नानुसार प्रदान करता है:

" 42. क्षेत्राधिकार। -इस भाग में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कहीं और किसी बात के होते हुए भी, जहां मध्यस्थता समझौते के संबंध में इस भाग के तहत कोई आवेदन किसी न्यायालय में किया गया है, अकेले उस न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही और उसके बाद की सभी कार्यवाहियों पर अधिकारिता होगी।

उस समझौते से उत्पन्न होने वाले आवेदन और मध्यस्थ

कार्यवाही उस अदालत में की जाएगी और किसी अन्य अदालत में नहीं।

प्रस्तुतिकरण पर विचार करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय अनिवार्य करता है कि अपीलार्थी को एस. पी. आई. एल. के 24.3 करोड़ शेयरों से संबंधित शेयर प्रमाण पत्र वापस करने होंगे जो 19 जुलाई 2004 के समझौते के संदर्भ में दिए गए थे। अपीलार्थी द्वारा शेयर प्रमाणपत्रों का हस्तांतरण केवल कंपनी के रजिस्टर के सुधार से प्रभावी होगा। केवल शेयर प्रमाण पत्र सौंपने से पुरस्कार का उचित कार्यान्वयन नहीं होगा। यह पुरस्कार

19 जुलाई 2004 के समझौते के अनुसरण में अपीलार्थी के नाम पर खड़े शेयरों के संचरण पर विचार करता है,

मध्यस्थ कार्यवाहियों में दावेदार। इसके लिए रजिस्टर में सुधार करने के उद्देश्य से धारा 111 के तहत एक आवेदन की आवश्यकता थी। धारा 111 की उप-धारा 4 एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां रजिस्टर में दर्ज करने में चूक की जाती है, किसी भी व्यक्ति के कंपनी का सदस्य बनने का तथ्य। उप-धारा 5 के तहत अपील की सुनवाई करते समय न्यायाधिकरण को यह निर्देश देने का अधिकार है कि हस्तांतरण या संचरण कंपनी द्वारा पंजीकृत किया जाएगा और रजिस्टर में सुधार का आदेश दिया जाएगा। 29. वर्तमान मामले में, मध्यस्थता निर्णय के लिए शेयरों को दावेदारों को प्रेषित करने की आवश्यकता थी। मध्यस्थता पुरस्कार ने अंतिमता प्राप्त की। पुरस्कार को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के

अनुसार उसी तरह से लागू किया जा सकता है जैसे कि यह न्यायालय का आदेश हो। पुरस्कार दावेदार को शेयरों के संचरण को अभिनिर्धारित करता है।

चेरान प्रॉपर्टीज लिमिटेड v. कस्तुरी और पुत्र

सीमित और ओआरएस। [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

निर्णय में निहित निर्देशों को केवल कानून द्वारा अनुध्यात तरीके से सुधार के लिए न्यायाधिकरण का रुख करके लागू किया जा सकता है।

30. जिस पर निर्भरता रखने की मांग की गई है

1996 के अधिनियम की धारा 42 का दृष्टिकोण अनुपयुक्त है। डॉ. सिंघवी ने भरोसा जताया

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम संबद्ध ठेकेदार 0 में निर्णय।

इस न्यायालय के निर्णय में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था वह था -

गुलालः

" यदि किसी ऐसे न्यायालय के लिए आवेदन किया जाना था जो किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रधान दीवानी न्यायालय नहीं है या मध्यस्थता की विषय वस्तु बनाने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के लिए आवेदन किया जाना था, यदि वह किसी मुकदमे का विषय था, तो जाहिर है कि ऐसा आवेदन धारा 42 के चारों कोनों से बाहर होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई आवेदन प्रधान सिविल न्यायालय से निचली अदालत में या किसी उच्च न्यायालय में दायर किया जाना था, जिसके पास कोई मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है, या यदि कोई आवेदन किसी ऐसे न्यायालय में किया जाना था जिसके पास कोई विषय क्षेत्राधिकार नहीं है, तो ऐसा आवेदन धारा 42 के बाहर होगा और बाद के आवेदनों को ऐसे न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में दायर करने से नहीं रोकेगा।

न्यायालय का निष्कर्ष निम्नलिखित शब्दों में है:

" (क) धारा 2 (1) (ङ) में एक विस्तृत परिभाषा है जो केवल मूल क्षेत्राधिकार के प्रधान सिविल न्यायालय को चिह्नित करती है।

राज्य में मूल नागरिक अधिकारिता रखने वाला जिला या उच्च न्यायालय, और राज्य के भाग I के उद्देश्य के लिए "न्यायालय" के रूप में कोई अन्य न्यायालय नहीं।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996।

(ख) "मध्यस्थता समझौते के संबंध में" अभिव्यक्ति यह स्पष्ट करती है कि धारा 42 किए गए सभी आवेदनों पर लागू होगी। चाहे मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान या 1996 के अधिनियम के भाग I के तहत किसी पुरस्कार की घोषणा के बाद।

(ग) हालाँकि, धारा 42 केवल भाग I के तहत किए गए आवेदनों पर लागू होती है यदि वे परिभाषित न्यायालय में किए जाते हैं। चूँकि धारा 8 के तहत आवेदन न्यायिक अधिकारियों को किए जाते

हैं और चूंकि धारा 11 के तहत आवेदन मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित, न्यायिक प्राधिकरण और मुख्य न्यायाधीश या उनके न्यायाधीश को किए जाते हैं।

निर्दिष्ट न्यायालय के रूप में परिभाषित नहीं होने पर, ऐसे आवेदन धारा 42 के बाहर होंगे।

2015) 1 एससीसी 32.

18] 4 एस सी आर।

(घ) धारा 9 के आवेदन न्यायालय में किए गए आवेदन हैं और

धारा 34 मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग रखने के लिए आवेदन हैं -

ऐसे आवेदन जो धारा 42 के अंतर्गत आते हैं।

(ई) किसी भी परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय धारा 2 (1) (ई) के प्रयोजनों के लिए "न्यायालय" नहीं हो सकता है, और क्या सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद अपने अधिकार को बरकरार रखता है या नहीं,

आवेदन या तो राज्य में मूल अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय या जिले में मूल अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष किए गए पहले आवेदन का अनुसरण करेंगे।

हो सकता है।

(च) धारा 42 मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त होने के बाद किए गए आवेदनों पर लागू होगी बशर्ते वे भाग I के तहत किए गए हों।
(छ) यदि किसी ऐसे न्यायालय में पहला आवेदन किया जाता है जो न तो किसी जिले या उच्च न्यायालय में मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान न्यायालय है।

किसी राज्य में मूल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय, ऐसा आवेदन जैसा कि परिभाषित किया गया है, किसी न्यायालय में नहीं होना धारा 42 के बाहर होगा। इसके अलावा, बिना विषय-वस्तु के अदालत में किया गया एक आवेदन

अधिकार क्षेत्र धारा 42 के बाहर होगा।

31. हाल ही में सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम अब्दुल

समद 2 1, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर उच्च न्यायालयों में कानूनी राय के विचलन पर विचार किया कि क्या 1996 के अधिनियम के तहत एक पुरस्कार को पहले निष्पादन के लिए मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में दायर करने की आवश्यकता है, जिसके बाद डिक्री का हस्तांतरण किया जाना चाहिए या क्या पुरस्कार को सीधे उस न्यायालय में दायर किया जा सकता है और निष्पादित किया जा सकता है जहां संपत्ति स्थित है। धारा 36 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" उपरोक्त प्रावधान से पता चलेगा कि एक पुरस्कार को उक्त संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से लागू किया जाना है जैसे कि यह एक डिक्री हो। इस प्रकार, यह प्रवर्तन तंत्र है, जो एक डिक्री के प्रवर्तन के समान है लेकिन

पुरस्कार अपने आप में दीवानी अदालत का आदेश नहीं है क्योंकि दीवानी अदालत द्वारा कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाता है। यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण है, जो एक निर्णय देता है और न्यायाधिकरण के पास डिक्री के निष्पादन की शक्ति नहीं है। डिक्री के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए पुरस्कार को उसी तरीके से लागू किया जाना है जैसे कि यह

उक्त संहिता के तहत एक डिक्री थी।

21 (2018) 2 स्केल 467 चेरान प्रॉपर्टीज लिमिटेड v. कस्तुरी और पुत्र

सीमित और ओआरएस। [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

धारा 42 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने कहा कि:

" तथापि, उपरोक्त प्रावधान एक के संबंध में लागू होता है

भाग I के तहत न्यायालय में आवेदन दायर किया जा रहा है। क्षेत्राधिकार मध्यस्थता कार्यवाही पर है। उस समझौते से उत्पन्न होने वाला बाद का आवेदन और मध्यस्थता कार्यवाही केवल उसी न्यायालय में की जानी है। हालांकि, जिस बात की अनदेखी की गई है वह उक्त अधिनियम की धारा 32 है, जो इस प्रकार है: 32. कार्यवाही की समाप्ति। (1) मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी।

अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार द्वारा या मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा उप-धारा (2) के तहत। (2) मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक आदेश जारी करेगा।

2018 पृष्ठ के सिविल आवेदन No.1650 की समाप्ति के लिए

17 21 की माध्यस्थम कार्यवाही जहाँ (क) दावेदार

अपना दावा वापस लेता है, जब तक कि प्रतिवादी आदेश पर आपत्ति नहीं करता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण विवाद का अंतिम समाधान प्राप्त करने में उसकी ओर से एक वैध हित को मान्यता नहीं देता है, (बी) पक्षकार कार्यवाही की समाप्ति पर सहमत होते हैं, या (सी) मध्यस्थ न्यायाधिकरण पाता है कि कार्यवाही को जारी रखने के लिए

कोई अन्य कारण अनावश्यक या असंभव हो जाता है। (3) धारा 33 और धारा 34 की उप-धारा (4) के अधीन रहते हुए, मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अधिदेश धारा 34 की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा।

मध्यस्थता कार्यवाही "।

19. उपरोक्त प्रावधान अंतिम मध्यस्थता निर्णय द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने का प्रावधान करता है। इस प्रकार, जब कोई पुरस्कार पहले ही दिया जा चुका होता है, जिसके निष्पादन की मांग की जाती है, तो अंतिम निर्णय लेने पर मध्यस्थता कार्यवाही पहले ही समाप्त हो जाती है।

पुरस्कार। इस प्रकार, यह सराहना नहीं की जाती है कि कैसे उक्त अधिनियम की धारा 42, जो मध्यस्थता के संबंध में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे से संबंधित है।

कार्यवाही की कोई भी प्रासंगिकता होगी। "

नतीजतन, न्यायालय के विचार में, इसके निष्पादन के माध्यम से एक पुरस्कार का प्रवर्तन देश में कहीं भी शुरू किया जा सकता है जहां डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है और अदालत से डिक्री का हस्तांतरण प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका अधिकार क्षेत्र होगा

मध्यस्थता कार्यवाही।

32. वर्तमान मामले में, मध्यस्थता पुरस्कार, संक्षेप में, अपीलार्थी से दावेदार को शेयरों के हस्तांतरण को अभिनिर्धारित करता है। एकमात्र संचरण को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध उपाय वह है जो रजिस्टर के सुधार की मांग के लिए धारा 111 में प्रदान किया गया था। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा संबोधित चुनौती में कोई योग्यता नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. हम इस तथ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं कि धारा 9 के तहत एस उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा की गई खरीद के. सी. पी. के नामित व्यक्ति के रूप में थी न कि किसी अन्य अधिकार के रूप में। खरीद को 19 जुलाई 2004 के समझौते के लिए संदर्भित माना गया था। इस खोज को कोई चुनौती नहीं मिली है।

अद्रास उच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" शेयरों के हस्तांतरण और पंजीकरण की मांग करने वाले तीसरे प्रतिवादी द्वारा जारी पत्र को पढ़ने से पता चलता है कि संदर्भ 19.7.2004 दिनांकित समझौते के लिए किया गया था जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद में था। कुछ भी नहीं बनाया गया है यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड, कि क्या पत्र में सुझाए गए किसी नए समझौते को निष्पादित किया गया था, तीसरे प्रतिवादी द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लिखित व्यक्ति के पक्ष में शेयरों के हस्तांतरण की मांग, और न ही कोई

दस्तावेज़ों को यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर रखा गया है कि क्या प्रत्यर्थी ने देनदारियों को अपने हाथ में ले लिया है, जिन्हें आवेदक द्वारा पूरा किया गया था, और अंत में पहले प्रत्यर्थी पर बाध्यकारी माना गया था।

नए समझौते के निष्पादन के अभाव में, कोई अन्य निष्कर्ष नहीं है कि लेनदेन के संदर्भ में था

मध्यस्थता के लिए पक्षों के बीच किया गया समझौता

पहुँच जाएँ "।

" पुनरावृत्ति के लिए, यह उल्लेख किया जा सकता है कि 18.8.2004 दिनांकित पत्र का पठन जिस पर निर्भरता रखी गई थी

तीसरे प्रत्यर्थी से पता चलता है कि आवेदक के बीच हुए दिनांकित 19.7.2004 समझौते का स्पष्ट संदर्भ दिया गया था।

और पहला उत्तरदाता "।

उच्च न्यायालय ने आगे इस प्रकार निर्णय दिया:

" उत्तरदाताओं 3 से 6 ने पहले उत्तरदाता के नामित के रूप में शेयर खरीदे हैं, न कि स्वतंत्र अधिकार के रूप में। नहीं। दिनांकित 19.7.2004 समझौते के अलावा अन्य सामग्री को यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर रखा गया है कि उत्तरदाता 3 से 6 शेयर खरीदने के अपने स्वतंत्र अधिकार का प्रयोग करते हैं।

" श्री वी. प्रकाश, विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि 4 से 6 उत्तरदाताओं को पहले के नामांकित व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

उत्तरदाता को बनाए नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि शेयरों को CHERAN PROPERTIES LIMITED v में हस्तांतरित किया गया था।

कस्तुरी और पुत्र

सीमित और ओआरएस। [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा संबोधित 18.8.2004 दिनांकित पत्र के अनुसरण में, दिनांकित 19.7.2004 समझौते का उल्लेख करके हस्तांतरण विलेख के पंजीकरण के लिए। इस प्रकार, दूसरे प्रश्न का उत्तर यह मानते हुए भी दिया जाता है कि उत्तरदाताओं 2 से 6 ने पहले उत्तरदाता के नामित के रूप में शेयर खरीदे। 99

हमने अभिलेख की पूर्णता के लिए उपरोक्त निष्कर्षों का उल्लेख किया है। मद्रास उच्च न्यायालय के इन निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि इस न्यायालय के समक्ष जो निवेदन किया गया था, उसमें से लगभग सभी को अस्वीकार कर दिया गया है।

34. अंत में, अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए प्रस्तुतियों के पूरे सरगम को शामिल करने के बाद, इस पर फिर से विचार करना सार्थक होगा।

मौलिक सिद्धांत जो लगभग पचास साल पहले सतीश कुमार मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में तैयार किए गए थे।

बनाम सुरिंदर कुमार 2 2. वह मामला भारतीय मध्यस्थता अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत सामने आया था। इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या अधिनियम के तहत किसी निर्णय के लिए पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता है, यदि यह 100 रुपये के मूल्य से अधिक की अचल संपत्ति के विभाजन को प्रभावित करता है। पटना उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब तक पुरस्कार (1940 के अधिनियम के तहत स्थिति के संदर्भ में) के संदर्भ में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार अभिनिर्धारित करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने पंजाब पूर्ण पीठ के एक निर्णय पर भरोसा किया था जिसमें कहा गया था कि मध्यस्थता अधिनियम 1940 के तहत, एक पुरस्कार केवल तभी प्रभावी होता है जब एक डिक्री पुरस्कार पर निर्णय का पालन करती है। पंजाब पूर्ण पीठ ने कहा कि भले ही पुरस्कार पंजीकृत हो, फिर भी यह एक 'बेकार कागज' है जब तक कि इसे अदालत का नियम नहीं बनाया जाता है। अपील में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दोनों पूर्ण पीठों ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था

उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी बनाम भारत संघ 2 3 में इस न्यायालय के एक अप्रकाशित निर्णय में तैयार किया गया था, जहां यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:

" पुरस्कार के प्रभाव के संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति विवाद में नहीं है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक सामान्य नियम के रूप में, सभी दावे जो मध्यस्थता के संदर्भ का विषय हैं, उस निर्णय में विलय हो जाते हैं जो मध्यस्थता से पहले की कार्यवाही में घोषित किया जाता है। मध्यस्थ और यह कि एक पुरस्कार घोषित होने के बाद, उक्त दावों के संबंध में पक्षों के अधिकार और

देनदारियों का निर्धारण केवल उक्त पुरस्कार के आधार पर किया जा सकता है। पुरस्कार घोषित होने के बाद मूल दावे पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है।

22 (1969) 2 एस. सी. आर. 244 23 1962 की सिविल अपील सं. 162-11 अक्टूबर 1962 [2018] 4 एस. सी. आर. को दिया गया निर्णय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुखर्जी, जे., द्वारा भजहारी के मामले में देखा गया साहा बनिक्या बनाम। बेहारी लाल बसाक [33 कलम 881 पृष्ठ 898 पर]

पुरस्कार, वास्तव में, एक न्यायालय का अंतिम निर्णय है

पार्टियों की अपनी पसंद है, और जब तक पर्याप्त पर महाभियोग नहीं चलाया जाता है

एक उचित कार्यवाही में आधार, एक पुरस्कार, जो है इस तथ्य पर कि यह नियमित है, गुणों पर निर्णायक है

जीवन शक्ति के तत्व, भले ही यह औपचारिक रूप से नहीं किया गया हो लागू किया गया, और इसके बीच एक मुकदमे में भरोसा किया जा सकता है

एक ही विषय से संबंधित पक्ष-विषय "। यह

विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, निष्कर्ष इस पर आधारित है कि

प्राथमिक सिद्धांत कि, पार्टियों और उनके बीच

एक पुरस्कार उस सम्मान का हकदार है जो देय है अंतिम उपाय की अदालत के फैसले के लिए। अतः यदि

पुरस्कार जो पक्षों के बीच घोषित किया गया है

तथ्य, या, कानून में, वर्तमान से निपटा हुआ माना जा सकता है

विवाद, दूसरा संदर्भ अक्षम होगा। यह पद इसे भी गंभीरता से विवादित नहीं किया गया है और न ही किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

सतीश कुमार (ऊपर) में ओ. वी. स्थिति का पालन किया गया था जिसमें कहा गया था कि

जी कानून का सिद्धांत। पहले के निर्णय को दोहराया गया था

टिप्पणियाँ:

“ हमारी राय में यह निर्णय यह स्थिति निर्धारित करता है कि अधिनियम के तहत यह पहले की तुलना में किसी भी तरह से अलग नहीं है

बल और केवल एक अपशिष्ट कागज नहीं है। यदि पुरस्कार विचाराधीन है यह केवल एक बेकार कागज नहीं है, बल्कि इसका स्पष्ट रूप से कुछ कानूनी प्रभाव है

धारा के अर्थ के भीतर संपत्ति को लक्षित करता है या प्रभावित करता है

17 (1) ((ख) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम।

(जोर दिया गया)

विशेष मामला जो मध्यस्थता और सुलह के तहत उत्पन्न होता है

996 वह और भी ऊँचे आसन पर खड़ा है। के प्रावधानों के तहतएन 35, पुरस्कार को उसी तरीके से लागू किया जा सकता है जैसे कि यह था

ई. न्यायालय से। पुरस्कार को अंतिम रूप मिल गया है। प्रसारण आई. टी. ई. डी. वी.

डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आर. टी. डी. सक्षम था। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा विज्ञापन का दृष्टिकोण उचित नहीं है।हमारा विचार है कि अपील बी हॉल खारिज हो जाती है।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।